झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 281 वर्ष 2021

इंद्र देव झा, उम्र लगभग 70 वर्ष, पे0–स्वर्गीय बाल मुकुन्द झा, निवासी–गाँधी नगर, नजदीक–शिव मंदिर, डाकघर–पुराना बाजार, धनबाद थाना–धनसार, जिला–धनबाद

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–राँची

3. जिला शिक्षा अधिकारी, धनबाद, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद

4. सचिव/प्रधानाध्यापक, खालसा हाई स्कूल, बैंक मोड़, धनबाद, डाकघर–

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री नवनीत टोप्पो, अधिवक्ता।

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री विजयंत वर्मा, ए0ए0जी0–IV के ए0सी0

03/05.03.2021 श्री नवनीत टोप्पो, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री विजयंत वर्मा, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट

याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्त्ता ने उपभोग न किए गए अवकाश के छुट्टी नकदीकरण का भुगतान उसे करने हेतु इस समादेश याचिका को दायर किया है।

याचिकाकर्त्ता को 12.01.1979 को शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा खालसा हाई स्कूल, बैंक मोड़, धनबाद में क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्त्ता प्रधानाध्यापक के पद से 31.07.2010 को सवानिवृत हुआ।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्त्ता पहले ही सेवानिवृत हो चुका है और याचिकाकर्त्ता को सभी सेवानिवृत लाभों का भुगतान सिर्फ अवकाश नकदीकरण को छोड़कर किया गया है। ''मरियम तिर्की बनाम् झारखण्ड राज्य और अन्य'' वाले मामले के संदर्भ में याची का मामला पूरी तरह से आच्छादित है और याची ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दाखिल किया है, जिसका अभी तक विनिश्चय नहीं किया गया है।

श्री वर्मा, राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्त्ता एक नए प्रतिनिधित्व को दाखिल करने के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क कर सकते हैं जो याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करेगा।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और यह विचार करते हुए कि याचिकाकर्त्ता पहले से ही सेवानिवृत हो चुके हैं और 'मरियम तिर्की' (ऊपर) के मामले में एक निर्णय सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के बारे में बोलता है, इस समादेश याचिका का निष्पादन इस निर्देश के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्त्ता उन सभी क्रेडेंशियल, जिन पर वह भरोसा कर रहा है, के साथ 'मरियम तिर्की' (उपर) के मामले में दिए गए पूर्वोक्त निर्णय की एक प्रति सहित उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष एक नया आवेदन तीन सप्ताह के अंदर दायर करेंगे।

यदि इस तरह का आवेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्त्ता के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेगा और एक उचित आदेश पारित करेगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्त्ता के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके बाद छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्त्ता को उसका लाभ प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, समादेश याचिका का निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)